[illegible] का वश होवे।

4/10/19

नीरज

प्रार्थना पत्र है कि प्रार्थी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-2 आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है व वाद डिक्री में पक्षकारों के विरुद्ध निकाला जाता है। पक्षकारों को एक माह के भीतर नया वाद लेकर आने की छूट होगी।